

शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) (ग) के अंतर्गत विद्यालय में  
सत्र 2020–21 में 25% निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा।

- अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि

24 जुलाई 2020

- ऑनलाइन लाटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरियता क्रम निर्धारण (राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा)

30 जुलाई 2020

- अभिभावक द्वारा लॉटरी उपरान्त इच्छित विद्यालय में मय आवेदन प्रपत्र एवं संलग्नकों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना।

07 अगस्त 2020 तक

- लाटरी द्वारा चयनित एवं निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट करने वाले पात्र बालकों का विद्यालय में प्रवेश

07 से 31 अगस्त 2020

अतः प्रवेश हेतु आवेदन आनलाइन भरकर लॉटरी के द्वारा चयन पश्चात आवश्यक दस्तावेजों के साथ विद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें।

आरटीई प्रभारी  
होली मदर पब्लिक स्कूल—भरतपुर